झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या– वा0कर1/विविध/22/2010 – 2499 / राँची, दिनांक – 13/8/12

प्रेषक,

मस्त राम मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त,
वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/(अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– वाणिज्य–कर विभाग में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन **e-registration** की प्रक्रिया विहित करने के संबंध में।

प्रसंगः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम **3A** तथा केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम **3** तथा **3A**।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 05.07.2011 के प्रभाव से वाणिज्य–कर विभाग में झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 तथा सुसंगत नियमावली के अधीन e-registration योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। उसी कम मे केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 3 **(ii)**, झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम **3A (vi)** के साथ पठित, के प्रावधान के अनुसार आयुक्त द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर, 1956 की धारा 7(1) के अधीन e-registration हेतु प्रक्रिया (विभागीय संकल्प संख्या– 211 दिनांक 01.02.2011 के सदृश्य) विहित की जाती हैः–

1. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन निबंधन प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यवसायी विभागीय वेबसाईट http://jharkhandcomtax.nic.in के e-services Section के अधीन **e-registration** के link को **click** करने के उपरांत VAT के साथ–साथ CST Registration, **Form-A** को भरकर ऑन–लाईन आवेदन समर्पित कर सकते हैं।
2. ऐसे व्यवसायी जिन्होनें झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 तथा सुसंगत नियमावली के अधीन पूर्व में ही निबंधन प्राप्त कर चुके हैं उन्हें विभागीय वेबसाईट http://jharkhandcomtax.nic.in के e-services Section के **e-return (Dealer's Login)** link के माध्यम से **CNTRAL FORM menu** के **Sub-menu CST Registration** में **click** कर विहित आवेदन प्रपत्र **Form-A** में ऑन–लाईन आवेदन समर्पित करना होगा।

3. अंचल प्रभारी द्वारा ऐसे दाखिल/प्राप्त ऑन–लाईन आवेदनों का सत्यापन **(verification)** किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने के दो दिनों के अन्दर व्यवसायी को sms/e-mail द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक कागजातों Security Bond सहित संबंधित अंचल प्रभारी के समक्ष उपस्थित होने की सूचना दी जाएगी।

   निर्धारित तिथि एवं समय पर व्यवसायी ऑनलाईन समर्पित आवेदन की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी तथा अन्य संबंधित कागजातों की मूल प्रति के साथ अंचल प्रभारी के समक्ष उपस्थित होंगे। आवेदक व्यवसायी के आवेदन तथा उपस्थापित कागजातों के जॉच कर संतुष्ट होने के उपरांत अंचल प्रभारी द्वारा निबंधन प्रमाण–पत्र **(Form-B)** निर्गत किया जाएगा अन्यथा व्यवसायी के आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा जिसकी सूचना sms/e-mail द्वारा कारण सहित आवेदक व्यवसायी को दी जाएगी।

4. CST के अधीन निबंधन प्रमाण पत्र के साथ आवंटित **TIN** झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन निर्गत **TIN** के समान होगा। उक्त **TIN** में अंतिम 3 Digit **(101)** Suffix कर दिया जाएगा।

5. ऑन–लाईन आवेदन तथा आवश्यक कागजात समर्पित करने के पॉच दिनों के भीतर **TIN** तथा निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक है।

6. ऐसे व्यवसायी जो पूर्व में ही Manually CST निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं उन्हें विभागीय वेबसाईट http://jharkhandcomtax.nic.in के e-services Section के **e-return (Dealer's Login)** में उपलब्ध **CENTRAL FORM menu** के **Sub-menu "CST Profile Update"** को **update** अपेक्षित है। CST Profile Update करने की पूरी प्रकिया विभागीय वेबसाईट के **"User Manual of Form 'C' "** में उपलब्ध है।

विश्वासभाजन

13.8.12

सचिव–सह–आयुक्त,
वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।